



टेलीफोन अदालत कम ओपन हाउस की सूचना

बीएसएनएल मध्यप्रदेश दूरसंचार परिमंडल के समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-20 में की जाने वाली टेलीफोन अदालत कम ओपन हाउस की सूचना निम्नानुसार है ।

जिला स्तरीय टेलीफोन अदालत की दिनांक	रिमाक	आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक
20.09.2019	तृतीय	05.09.2019
20.11.2019	चतुर्थ	04.11.2019
31.12.2019	पंचम	16.12.2019

परिमंडल स्तरीय टेलीफोन अदालत की दिनांक	रिमाक	आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक
26.09.2019	द्वितीय	12.09.2019
19.12.2019	तृतीय	04.12.2019

जिला स्तरीय टेलीफोन अदालत में उपभोक्ताओं की समस्या के उन्हीं आवेदन पत्रों को निपटान हेतु स्वीकार किया जावेगा जिनका निराकरण विभाग में तीन माह से अधिक समय से लंबित है। परिमंडल स्तरीय टेलीफोन अदालत में केवल उन्ही समस्या के आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जाएगा, जिनका निराकरण जिला स्तरीय टेलीफोन अदालत में हो चुका है और उपभोक्ता उससे संतुष्ट नहीं है ।

उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वे अपनी समस्या का आवेदन पत्र पूर्ण विवरण एवं संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला स्तरीय टेलीफोन अदालत के लिये **संबंधित बीएसएनएल दूरसंचार जिला प्रमुख** को तथा परिमंडल स्तरीय टेलीफोन अदालत के लिये **सहायक महाप्रबंधक (प्रचालन.III) सीएफए कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल म.प्र. परिमंडल होशंगाबाद रोड, भोपाल** को निर्धारित दिनांक के पूर्व भिजवावें। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को टेलीफोन अदालत में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

सहायक महाप्रबंधक (प्रचालन.III) सीएफए
परिमंडल कार्यालय,भोपाल